UPSI010038352026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस 0 सी0/एस 0 टी0 एक्ट), सीतापुर।

जमानत प्रार्थना–पत्र सं०–711/2026

C.I.S. No. 1685/2026

श्याम जी उम्र 22 वर्ष पुत्र प्रमोद बाजपेयी निवासी लोनियनपुरवा, थाना कोतवाली, जिला सीतापुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ 0 प्र 0 राज्य

.....विपक्षी/अभियोगी।

मु०अ०सं०–84/2026

धारा– 109(1), 191(2),191(3) B.N.S.

थाना महोली , जिला–सीतापुर।

दिनांक–27.06.2026

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

आवेदक/अभियुक्त **श्याम जी** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 26.05.2026 से जेल में निरूद्ध है।

आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र के साथ आवेदक /अभियुक्त के पैरोकार मुकदमा प्रेमा का शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं कि दिनांक 28.2.2026 को मैंने अपने लड़के अवनीश उर्फ बब्लू दीक्षित उम्र करीब 34 वर्ष को अपने मोहल्ले के रहने वाले रामगुलाम को बुलाने भेजा था रामगुलाम के घर के पास समय करीब 3.00 बजे दिन में विपक्षीगण अटल बाजपेयी पुत्र कमल किशोर बाजपेयी व सूरज सिंह पुत्र राम सिंह निवासीगण चमारन टोला थाना महोली सीतापुर व एक अज्ञात व्यक्ति मेरे लड़के को ललकार कर जान से मार डालने की नीयत से मुकदमे बाजी की रंजिश मानकर असलहे से गोली मार दिये लेकिन गोली सीने पर न लगकर कमर के नीचे लग गयी इसके बाद भी मेरे लड़के के सिर में बट से वार करके घायल कर दिये

वहाँ से जान बचाकर मेरा लड़का जैसे तैसे घर आकर बताया तो हम लोगो भी भागकर पहंचे तब तक विपक्षीगण उपरोक्त तीनो भाग गये थे। उक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमें में झूंठा व रंजिशन फंसाया गया है प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी उपरोक्त मुकदमें में नामजद नही है स्थानीय थाने की पुलिस द्वारा फर्जी तरीके से उपरोक्त मुकदमें् प्रकाश मे लाया गया तथा वादी मुकदमे के बयान व प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा मुकदमें के तथ्यों में काफी विरोधाभाष है। प्रार्थी को किसी भी मुकदमें में सजा नही हुई है। कथित मुकदमें में नामजद अभियुक्त अटल बाजपेयी व सूरज सिंह की जमानत मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद बेंच लखनऊ से हो चुकी है। प्रार्थी का केस नामजद अभियुक्तों से जमानत के लिए काफी बेहतर है। प्रार्थी की ओर से न्यायालय श्रीमान् जी के समक्ष उपरोक्त मुकदमा में यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत अथवा निरस्त नही हुआ है। प्रार्थी निर्दोष हैं। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी सक्षम जमानत देने को तैयार है, बाद जमानत, जमानत का दुरूपयोग नही करेगा, वाद विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा, साक्षियों को प्रभावित नही करेगा, प्रार्थी न्यायालय श्रीमान् जी द्वारा आदेशित धनराशि की जमानत व अन्डर टेकिंग देने को तैयार है। प्रार्थी को यदि जमानत पर रिहा किया गया तो वह अपनी जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नही करेगा। दौरान मुकदमा नियमित रूप से हाजिर आता रहेगा। प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्क सुने तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी मुकदमा के लडके अवनीश ऊर्फ बब्लू को पुरानी दुश्मनी की वजह से, आरोपी ने शिकायतकर्ता के बेटे को जान से मारने की नीयत से गोली मारी, जिससे उसे गोली लगने से चोट आई, और बंदूक के बट से भी उस पर हमला किया, जिससे उसे और चोटें आईं। इस सिलसिले में मैंने घायल अवनीश कुमार दीक्षित की चोट की रिपोर्ट और इलाज/प्रगति रिपोर्ट देखी है, जिससे पता चलता है कि उसे कूल्हे के जोड़ के दाहिने हिस्से में गोली लगने से चोट आई थी और सिर में भी चोट लगी थी। यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि हालाँकि आरोपी–आवेदक का नाम FIR में नहीं है, लेकिन जाँच के दौरान शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर उसका नाम सामने आया है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि सहअभियुक्तगण की जमानत पूर्व में ही निरस्त की जा चुकी है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों

को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का संतोषप्रद एवं पर्याप्त आधार नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **श्याम जी** की ओर से मु0अ0सं0 84/2026, धारा–109(1), 191(2), 191(3) B.N.S. थाना महोली जिला–सीतापुर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 27.06.2026

(महेन्द्र सिंह–IV)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट),
जनपद सीतापुर।
J.O.Code–UP6113

ratnesh/–

Digitally signed by Mahendra Singh
Date: 2026.06.27 17:01:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,Sitapur